7. नियम की कंडिका 06 (दो) में संशोधन उपरान्त निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाता है :—

(दो) राज्य शासन की ओर से बैंकों को जो ब्याज अनुदान दिया जाना है, वह वर्ष के प्रारंभ से ही राज्य शासन द्वारा पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा. यह अनुदान गत वर्षों की ऋण वितरण के आधार पर गणना की जाकर उपलब्ध कराया जाएगा. संस्था द्वारा ब्याज अनुदान का दावा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक छः माही समाप्त होने के 30 दिवस के अंदर किया जावेगा. बैंक/संस्था द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रक का, जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा स्वीकृति उपरांत राशि का अविलम्ब भुगतान करने की जवाबदारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की होगी.

8. नियम की कंडिका 07 के संशोधन उपरान्त निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाता है :—

ब्याज अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2016

क्रमांक 205/एफ 2016-16-00155/वित्त/नियम/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 38 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतानें हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है. अवकाश अवधि में गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल होंगे किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन की पश्चात्वर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जाएगा. ऐसी अवधि में वह उस वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसने अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है."

No. 205/F-2016-16-00155/F/R/IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

For sub-rule (1) of rule 38, the following shall be substituted, namely :—

"(1) A female government servant who has less than two surviving children, may be granted maternity leave for a period of up to 180 days. The period of leave shall include the period of pregnancy and the day of delivery but such leave shall not be granted for any period beyond 180 days from the date of delivery. During such period, she will be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.